

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960
(कानूनी नियम और आदेश)

¹[प्रस्तुप 2क
(नियम 7 देखिए)

राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के ऐसे सदस्य द्वारा, जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है मामूली निवास-स्थान के बारे में
कथन

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ और नीचे वर्णित सशस्त्र पुलिस बल में यदि मेरी सेवा राज्य
के बाहर न होती तो मैं—

गृह सं0.....
गली/मोहल्ला.....
परिक्षेत्र.....
नगर/ग्राम.....
डाकघर.....
पुलिस थाना.....
तहसील/तालुका.....
जिला.....
राज्य.....
मैं मामूली तौर से निवासी होता ।
मेरा पूरा नाम.....
पंक्ति.....
बक्सुआ सं0.....
सशस्त्र पुलिस बल का नाम.....
कमांडेंट के कार्यालय का नाम और पता.....
पिछले जन्म दिन पर आयु.....वर्ष
* मैं यह अतिरिक्त घोषणा करता हूँ कि मेरी पत्नी.....जिसकी आयु....वर्ष
है मेरे साथ, मामूली तौर से निवास करती है और वह भारत की नागरिक है।

मामूली निवास-स्थान के बारे में मैंने जो कोई कथन इससे पूर्व किया है वह एतद्वारा रद्द हो जाता है।

तारीख.....20...
(हस्ताक्षर)

* यदि लागू न हो तो काट दीजिए ।

कमांडेंट का कार्यालयसत्यापित किया और ठीक पाया गया।
फोलियो सं0.....(हस्ताक्षर).....

स्थान.....(पदाधिकार).....
तारीख.....कमांडेंट

(निर्वाचन कार्यालय में उपयोग के लिए)

कथन.....200.....को प्राप्त हुआ.....सभा निर्वाचन-क्षेत्र (सं0.....) के लिए निर्वाचक नामावली में
सेवा नियोजित मतदाता भाग क्रम सं0.....पर रजिस्ट्रीकृत किया गया ।
तारीख.....20...

²[निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर]]

¹ अधिसूचना सं0 का0 आ0 4371, तारीख 21 अक्टूबर, 1964 द्वारा अंतःस्थापित ।

² अधिसूचना सं0 का0 आ0 3874, तारीख 15 दिसम्बर, 1966 द्वारा “मुख्य निर्वाचन आफिसर” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।